



पत्रांक : 226/JSR/26

दिनांक : 22/02/2026

माननीय अध्यक्ष महोदय,
झारखण्ड विधानसभा, राँची

विषय :- मेरे अल्पसूचित अनागत प्रश्न संख्या- 24, दिनांक- 21.02.2026 का सरकार के गृह विभाग द्वारा गलत उत्तर सदन पटल पर रखकर सदन को गुमराह करने तथा सही उत्तर पाने के सदन सदस्य के विशेषाधिकार का हनन करने के संबंध में.

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि मेरे प्रासंगिक प्रश्न की कंडिका 2 और 3 के उत्तर में गृह विभाग ने जानबूझकर सदन को गुमराह किया है. वस्तुतः कांड की जांच करने में इनकी कोई रूचि नहीं है, जबकि कांड की प्राथमिकी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वयं दायर किया है. राज्य के कैबिनेट मंत्री द्वारा दायर प्राथमिकी के अनुसंधान में ऐसी स्थिति है तो आमलोगों के मामले में क्या होता होगा.


प्रश्न की कंडिका 2 में पूछा गया है कि अश्लील विडियो वायरल होने के अगले दिन एक महिला का विडियो वक्तव्य सामने आया कि मंत्री जी के साथ अश्लील विडियो चैट में जो महिला अंग प्रदर्शन कर रही है वह मैं हूँ, अनुसंधानकर्ता ने इस महिला का बयान लिया या नहीं? इस प्रश्न पर सरकार का जवाब है कि वह महिला चिन्हित नहीं की जा सकी इसलिए उसका बयान नहीं लिया जा सका. सच्चाई यह है कि महिला का उक्त विडियो प्राथमिकीकर्ता के ऑफिसियल हैंडल से प्रसारित हुआ है. अनुसंधानकर्ता आसानी से महिला का पता लगा सकता था.

प्रश्न की कंडिका -3 में सरकार ने कहा है कि विडियो को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है, जांच प्रतिवेदन अभी तक नहीं आया है. गत 18 दिसम्बर, 2023 को सदन में पूछे गए मेरे अल्पसूचित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर में भी सरकार ने यही जवाब दिया था कि विडियो क्लिप एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट नहीं आया है. 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार का एक ही उत्तर अनुसंधान के प्रति उदासीनता का द्योतक है. परंतु आश्चर्य तो यह है कि सरकार इस मामले में सदन के समक्ष असत्य परोस रही है. वस्तुस्थिति यह है कि प्रासंगिक विडियो की जांच करीब एक साल पहले पूरा हो गई है, एफएसएल की जांच रिपोर्ट संबंधित न्यायाधीश के कोर्ट में जमा है. एफएसएल कार्यालय से जमशेदपुर पुलिस को एक साल पहले सूचित किया गया कि रिपोर्ट ले जाइए, मगर जमशेदपुर पुलिस ने वहां से एफएसएल जांच रिपोर्ट नहीं लिया.

एफएसएल जांच का निष्कर्ष है कि अश्लील वीडियो चैट का जो पेन ड्राइव उन्हें प्राप्त हुआ वह काफी धुंधला है. इससे यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि वीडियो ओरिजिनल है या मार्फ़ड है. यानी वीडियो जस का तस है या इसमें काट छाँट की गई है. उल्लेखनीय है कि अश्लील वीडियो साइबर पुलिस थाना में एफआईआर कराने वाले तत्कालीन मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने पुलिस को नहीं दिया बल्कि गुफरान नामक किसी व्यक्ति ने दिया.

महोदय, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सरकार इस मामले में सदन के समक्ष असत्य एवं भ्रामक वक्तव्य दे रही है, सदन को गुमराह कर रही है. अनुरोध है कि सदन को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए.

सादर,



सरयू राय